रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 2—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 85] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 1985/फाल्गुन 9, 1906
No. 85] NEW DELHI, THURSDAY, FEB. 28, 1985/PHALGUNA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1985

सं. 19/85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 122(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 37 की उप-मद 2 के अंतर्गत आने वाली मास्टर पोजिटिव, उद्भाषित नेगेटिव, डुप्पा और उद्भाषित सिनेमा फिल्मों के रश प्रिंटों को, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पादशुल्क से छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना में अनुदिष्ट छूट केवल ऐसे मास्टर पोजिटिवों, उद्भावित नेगेटिवों, ड्यूपों और रश प्रिंटों को लागू होगी जिनकी निकासी लोक प्रदर्शन के लिए नहीं की जाती है ।

[फा. सं. 60/8/84-सी.एक्स. 2]

बी. के. जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1985

No. 19|85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 122(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts master positives, exposed negatives, dupes and rush prints of exposed cinematograph films, falling under sub-item II of Item No. 37 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act :

Provided that the exemption contained in this notification shall apply only to such master positives, exposed negatives, dupes and rush prints as are not cleared for public exhibition.

[F. No. 60|8|84-CX.2]

B. K. JAIN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985